



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 168-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 2017 (BHADRA 27, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 सितम्बर, 2017

संख्या 82/एसटी-2:- हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 168 के साथ पठित हरियाणा माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) और हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 69/एसटी-2, दिनांक 10 अगस्त 2017, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य कर आयुक्त, हरियाणा, यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप-जीएसटीआर-3ख में उक्त सारणी के खाना (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तिथि को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या (1)	मास (2)	प्ररूप-जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करने के लिए अंतिम तिथि (3)
1	अगस्त, 2017	20 सितंबर, 2017
2	सितंबर, 2017	20 अक्टूबर, 2017
3	अक्टूबर, 2017	20 नवंबर, 2017
4	नवंबर, 2017	20 दिसंबर, 2017
5	दिसंबर, 2017	20 जनवरी, 2018

2. प्ररूप-जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व का निर्वहन करने के लिए करों का भुगतान - प्ररूप-जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन भुगतान किसी अन्य राशि के लिए अपने दायित्व का निर्वहन उक्त सारणी के खाना (3) में यथा दी गई अंतिम तिथि जिस तक उससे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, से पूर्व यथास्थिति इलैक्ट्रॉनिक रोकड़ बही या इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही के नामे खाते डालकर करेगा।

आशिमा बराड़,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त-कम-राज्य
कर आयुक्त, हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 19th September, 2017

No. 82/ST-2.— In exercise of the powers conferred by Section 168 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 and Notification No. 69/ST-2, dated 10th August, 2017, the Commissioner of State Tax, Haryana, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal on or before the last dates as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Serial No.	Month	Last Date for filing of return in FORM GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	August, 2017	20th September, 2017
2.	September, 2017	20th October, 2017
3.	October, 2017	20th November, 2017
4.	November, 2017	20th December, 2017
5.	December, 2017	20th January, 2018

2. Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B: Every registered person furnishing the return in FORM GSTR-3B shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than last date, as detailed in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

ASHIMA BRAR,
Excise and Taxation Commissioner-cum-
Commissioner of State Tax, Haryana.